न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,

जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 67/2018

प्रार्थी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. घापुड़ी पत्नी भैणाराम कौम–माली, निम्बोल जैतारण।
2. मदनलाल पुत्र श्रीलाल कौम–ओसवाल जैतारण।
3. ओमप्रकाश पुत्र भेराराम कौम–कुमावत सा. पटेलनगर बिलाड़ा।
4. कमलादेवी पत्नी घीसाराम कौम–जोशी ग्राम–ठाकरवास जैतारण।
5. रामगोपाल पुत्र मदनलाल कौम जोशी ग्राम– लाम्बिया जैतारण।
6. बक्साराम पुत्र भंवरूराम कौम–जाट, ग्राम–आ.कालू तहसील–जैतारण।
7. मिश्रीलाल पुत्र अमराराम कौम–गुर्जर ग्राम– बलुन्दा, तहसील–जैतारण।
8. ओमप्रकाश पुत्र छगनाराम कौम–माली ग्राम–ठाकरवास, तहसील–जैतारण।
9. ओमप्रकाश पुत्र जस्साराम कौम–माली ग्राम– बांजाकुड़ी, तहसील–जैतारण।
10. राजुराम पुत्र पुखाराम कौम–माली ग्राम–ठाकरवास, तहसील–जैतारण।
11. विमलादेवी पत्नी रमेशचन्द्र कौम–माली, जैतारण।
12. हुक्माराम पुत्र पुनाराम जांगिड़ कौम–सुथार ग्राम–साथिन तहसील–बिलाड़ा जिला–जोधपुर।
13. पार्वतीदेवी पत्नी चम्पालाल कौम–कुम्हार, जैतारण।
14. सुशीला पत्नी राजुराम चौहान कौम–माली ग्राम–ठाकरवास, जैतारण।
15. अर्जुनसिंह पुत्र करमसिंह कौम–सीरवी, ग्राम–पातुस, जैतारण।
16. लेखपालसिंह पुत्र करमसिंह कौम–सीरवी, ग्राम–पातुस हाल जैतारण
17. नाथूराम पुत्र चम्पालाल जोशी

सहायक कलक्टर/पदेन
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

ग्राम–लाम्बिया, जैतारण।

18. श्यामली पत्नी नारायणलाल कौम–सीरवी ग्राम–ठाकरवास, जैतारण।

19. रामनिवास पुत्र बद्रीलाल कौम–माली जैतारण।

20. रमेशकुमार पुत्र पुखराज कौम–माली जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.13.03.2018**

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 12/02/2020**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 61/3 कुल रकबा 09–03 बीघा मौजा पातुस में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 20 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर मोबाइल टॉवर लगाकर जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 20.02.2018 को पैदा हुआ। जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से मोबाईल टॉवर का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक दव F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 के बिंदू संख्या 03(10) के अनुसार मोबाईल टॉवर अस्थाई प्रकृति की संरचना होनें से एवं दूरसंचार सेवा एक अत्यावश्यक प्रकृति की सेवा होने से इसकी स्थापना एवं

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

परिचालन के लिए भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार, जैतारण द्वारा ग्राम–पातुस तहसील–जैतारण के खसरा संख्या 61/3 के खातेदारान एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होनें, विधि द्वारा बाधित होनें एवं संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज करना विधिसंगत है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाम प्रतिवादीगण सारहीन होनें, संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होनें एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 12/02/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 17:34:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: